

प्रधान कार्यालय: प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

(ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक आम बैठक 04 अगस्त, 2020, मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किया जाएगा :-

साधारण कारोबार

मद सं. 1

31 मार्च 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों पर, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तथा, तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर एतद्वारा विचार विमर्श, अनुमोदन एवं स्वीकार किया गया।”

विशेष कारोबार

मद सं. 2

बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से ₹ 28707.92 करोड़ की संचित हानि का विनियोजन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि सांविधिक संशोधनों अथवा उसके बाद पुनः अधिनियमन सहित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3 (2बीबीए), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2), वित्तीय सेवाएँ विभाग राजपत्र अधि सूचना सं. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1201 E) दिनांक 23.03.2020 द्वारा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 2020 कहा गया है और जिसमें अपेक्षित होने पर कोई और अनुमोदन किया जा सकता है, के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों की सहमति हो तथा एतद्वारा, 31.03.2020 को ₹ 28707,91,81,617.09 (अट्टाईस हजार सात सौ सात करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ सत्रह रुपये एवं नौ पैसे मात्र) के नामे शेष (संचित हानि) के समायोजन के लिए, 31.03.2020 को समामेलित बैंक की आरक्षित निधियों और अधिशेष के तहत संचित हानि का प्रतिनिधित्व करने वाले खातों में अंतरण द्वारा 'शेयर प्रीमियम खाते' में जमा शेष के रूप में सकल ₹ 69469,80,67,937.79 (उनहत्तर हजार चार सौ उनहत्तर करोड़ अस्सी लाख सड़सठ हजार नौ सौ सैंतीस रुपये और उन्व्यासी पैसे मात्र) की राशि में से ₹ 28707,91,81,617.09 (अट्टाईस हजार सात सौ सात करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ सत्रह रुपये एवं नौ पैसे मात्र) की राशि का उपयोग करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए एवं एतद्वारा दी जाती है, जिससे लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष तदनुसार कम हो जाए तथा उसका हिसाब वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हिसाब में किया जाए।

“संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडल को एतदनुसार इस प्रकार के सभी कार्य, मामले तथा चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जैसा वह संकल्प को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तथा इस संबंध में किसी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों के समाधान के लिए अपने विवेकाधिकार से आवश्यक या उपयुक्त समझें।

मद सं. 3

बैंक की इक्विटी पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित संकल्प (पों) पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना, और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करना :

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(e-mail id: hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 19th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Tuesday, the 04th August, 2020 at 10.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution:

“RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby **approved and adopted.**”

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2

Appropriation of accumulated losses of ₹ 28707.92 Crore from Share Premium Account of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“the Act”), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), including any statutory amendments or re-enactments thereof, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1201 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020 and subject to the any other approval, if required, **consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded** to utilize an amount of ₹28707,91,81,617.09 (Rupees Twenty eight thousand seven hundred seven crore ninety one lakhs eighty one thousand six hundred seventeen and nine paise only) out of an amount aggregating to ₹ 69469,80,67,937.79 (Rupees Sixty nine thousand four hundred sixty nine crore eighty lakhs sixty seven thousand nine hundred thirty seven and seventy nine paise only) being the balance standing to the credit of ‘Share Premium Account’ as at 31.03.2020 by transfer to the accounts representing accumulated losses under Reserves & Surplus of the Amalgamated Bank (PNB) for adjustment of the debit balance (accumulated losses) aggregating to Rs.28707,91,81,617.09 (Rupees Twenty eight thousand seven hundred seven crore ninety one lakhs eighty one thousand six hundred seventeen and nine paise only) as at 31.03.2020, reducing the debit balance in the Profit & Loss Account accordingly and take the same into account during current Financial Year 2020-21.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board be and is hereby **authorized** to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit.”

Item No. 3

Raising of Equity Capital of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following resolution(s) as a special resolution:

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अब से “अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 3(2बी) के प्रावधानों के अनुसरण में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (अब से “योजना” कहा जाएगा), पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2000 (अब से “पीएनबी विनियम” कहा जाएगा) के साथ पठित है तथा किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो तथा इस संबंध में यथापेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति के अध्वधीन तथा इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित किसी नियमों, शर्तों तथा संशोधनों के अध्वधीन तथा जो पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, तथा जो सेबी (पूँजी निर्गमन तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2018 (अब से “सेबी आईसीडीआर विनियम” कहा जाएगा) तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से “सेबी सूचीकरण विनियम” कहा जाएगा) के अब तक के संशोधनों के अध्वधीन है, तथा जो उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अध्वधीन हैं, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के निदेशक मंडल (अब से “मंडल” कहा जाएगा जिसमें मंडल द्वारा गठित कोई समिति सम्मिलित होगी) को बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए तथा एतद्वारा प्रदान की जाती है कि वे भारत या विदेश में ऑफर दस्तावेज / विवरणिका या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज के माध्यम से रु. 2/- (रुपए 2 मात्र) प्रति (भले बाजार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की संख्या का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन पर आरक्षण हेतु प्रावधान तथा/या निर्गम के उस भाग पर प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत्य व्यक्तियों की इस प्रकार की श्रेणी सहित) कर सकते हैं, जो बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूँजी के साथ अधिनियम की धारा 3(2ए) के अनुसार प्राधिकृत पूँजी के भीतर होगी अथवा भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन के अनुसार बढ़ी हुई प्राधिकृत पूँजी की सीमा तक होगी तथा जो इस प्रकार से होगी कि केंद्र सरकार की भागीदारी किसी भी समय पर बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूँजी (भारत सरकार के मौजूदा निर्देशानुसार) के 52% से कम धारित नहीं होगी जिसे विदेशी संस्थागत निवेशक (“एफआईआई”), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड्स, वेंचर पूँजी निधियां, विदेशी वेंचर पूँजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों, बिना किसी सीमा के यथालागू कानून के अंतर्गत अनुमत्य बैंक की इक्विटी/शेयरों में निवेश के लिए प्राधिकृत निवेशकों की अन्य श्रेणी सहित बैंक के कर्मचारियों, भारतीय निवासियों, गैर-प्रवासी भारतीयों (“एनआरआई”), निजी या सार्वजनिक कंपनियां, निवेश संस्थान, सोसायटीई, न्यास, अनुसंधान संगठन, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (“क्यूआईबी”) एक या अधिक निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंगित तथा वर्गीकृत टीयर-1 पूँजी के लिए रु.7000 करोड़ (रुपए सात हजार करोड़ मात्र) की राशि तक,

“RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as “the Act”) read with Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “the Scheme”), Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as “PNB Regulations”) and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/ Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Punjab National Bank (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the “SEBI ICDR Regulations”) as amended, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed **consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called “the Board”) which term shall include any Committee constituted by the Board) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad such number of equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees two only) each (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India); to one or more investors including employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) including Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as may be permitted under applicable laws including, without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to

सेबी आईसीडीआर विनियम, जैसा उपयुक्त समझे तथा नियमों एवं शर्तों पर, मर्चेट बैंकर(रों) या नियुक्त तथा / या बैंक द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अन्य परामर्शदाता (ओं) के परामर्श से निवेश के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों का ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अतिरिक्त सार्वजनिक इश्यू, अधिकार निर्गम, निजी प्लेसमेंट, यथा लागू कानून द्वारा उपलब्ध निर्गम के किसी अन्य माध्यम द्वारा अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए तथा इक्विटी शेयरों का ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन तथा आबंटन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, सेबी आईसीडीआर विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा यथा लागू अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशानुसार किया जाए तथा ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार से तथा उन नियमों एवं शर्तों पर जैसा मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधि कार से उपयुक्त समझे, किया जाए।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि अप्रवासी भारतीयों, एफआईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को यथालागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (इसके अंतर्गत बनाए गए नियम व विनियम सहित) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन नए शेयर जारी तथा आबंटित किए जाएं, परंतु यह अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य विनियमकों द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेब आईसीडीआर विनियमों अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी माध्यम से जारी कोई इक्विटी शेयर उस मूल्य पर होंगे जो सेब आईसीडीआर विनियम (“क्यूआईपी फ्लोर मूल्य”) के अध्याय VI के अंतर्गत उपलब्ध मूल्य फार्मूला के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो, तथापि बैंक यथालागू कानून के अनुसार 5% या क्यूआईपी फ्लोर मूल्य पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमत्य किस प्रतिशत की छूट दे सकता है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेब आईसीडीआर विनियम अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी के माध्यम से पात्र क्यूआईपी को इक्विटी शेयर जारी करने की संधि में, लागू कानून अधीन, इक्विटी शेयरों के मूल्य उद्देश्य से “संगत तिथि” मंडल की उस बैठक की तिथि होगी, जिसमें मंडल ने इक्विटी शेयरों के क्यूआईपी खोलने का निर्णय लेते हैं। सार्वजनिक निर्गम पर अनुवर्तन (एफपीओ) / राइट्स निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के उद्देश्य से संगत तिथि सेब आईसीडीआर विनियम तथा अन्य लागू नियमया विनियम के अंतर्गत निर्धारित तिथि होगी।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार, क्यूआईपी के माध्यम से पात्र क्यूआईपी को इक्विटी शेयरों का आबंटन किया जाना है, इसे शेयरधारकों के संकल्प की तारीख से 365 दिनों के भीतर या आईसीडीआर विनियमों के तहत समय-समय पर यथा अनुमत समय में पूरा किया जाएगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/ या हामीदारों तथा/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या जैसा मंडल द्वारा अपने विवेक से निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन मूल्य या मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों, तथा कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।”

be appointed by the Bank for an amount not exceeding ₹ 7,000 Crore (Rupees Seven Thousand Crore only).”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Further Public Issue, Rights Issue, Private Placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity shares be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.”

“RESOLVED FURTHER THAT any issue of Equity Shares by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the ‘QIP Floor Price’), however the Bank may in accordance with applicable laws, also offer discount of not more than 5% (five percent) or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price.”

“RESOLVED FURTHER THAT subject to applicable law, in the event Equity Shares are issued to eligible QIBs by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the ‘relevant date’ for the purpose of pricing of the Equity Shares shall be the date of the meeting of the Board in which the Board decides to open the QIP Issue. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Further Public Offer (FPO)/ Rights Issue will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or regulation.”

“RESOLVED FURTHER THAT the allotment of Equity Shares to be made by way of the QIP to the eligible QIBs, in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, shall be completed within 365 days from the date of the shareholders resolution or such other time as may be allowed under SEBI ICDR Regulations from time to time.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the PNB Regulations, the provisions of

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, पीएनबी विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2017 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी), ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से “उपयुक्त प्राधिकारी” के रूप में कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार तथा उन शर्तों के अधीन जो इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी प्रदान करते समय इनके द्वारा निर्धारित की गई हो (जिसे अब से “औचित्यपूर्ण अनुमोदन” कहा जाएगा), मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इक्विटी शेयर या वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, समय-समय पर एक या अधिक भागों में इस प्रकार से निर्गमित, प्रस्तावित तथा आबंटित कर सकता है, जिससे बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52 % से कम न हो (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार) और जो अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों में वर्णित है, ऐसे निवेशक बैंक के सदस्य हैं या नहीं, एक अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (‘क्यूआईपी’) या पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू या किसी अन्य तरीके से सेबी आईसीडीआर विनियमों और ऐसे मूल्य पर लागू कानूनों के अनुसार विधि, बाजार मूल्य या कीमतों पर छूट या लागू मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार गणना की जाती है और जैसा कि बिना किसी सीमा के लागू कानूनों के तहत अनुमति दी जा सकती है। ऐसे तरीके और नियम व शर्तों के अनुरूप जिसे बैंक द्वारा नियुक्त और/या नियुक्त किए जाने वाले किसी भी मर्चेन्ट बैंकर (रॉ) या अन्य सलाहकार (रॉ), के परामर्श से उचित समझा जाए।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को निर्गमन, आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार तथा शक्ति होगी।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित पीएनबी विनियमों के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतद्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, अर्हता प्राप्त संस्थान प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है, जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम का मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन तथा निर्गम से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग

SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), to such category of investors that may be permitted to invest in such issuance, including but not limited to eligible Qualified Institutional Buyers (QIBs) as defined under the SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are shareholders of the Bank, by way of a qualified institutions placement (“QIP”) or by way of public issue, rights issue or any other method in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices calculated as per the applicable pricing formula and as may be permitted under applicable laws including without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and / or to be appointed by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the PNB Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, rights issue, qualified institutions placement, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deem fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its

से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा अग्रणी प्रबन्धकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, यथावश्यकता परामर्शदाताओं और ऐसी सभी एजेंसियों को रखने/नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने में तथा कमीशन, दलाली, शुल्क अथवा उसके जैसे माध्यमों से प्रतिपूर्ति करने में सल्लिप्त या उससे संबंधित हों तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का निष्पादन करते हों तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और / या अन्य व्यक्तियों के साथ निर्गम(मों) के फार्म तथा शर्तें निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत हैं, जिसमें निवेशकों के वर्ग जिन्हें इक्विटी शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित शेयरों संख्या, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम का मूल्य, प्रीमियम या छूट/रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और /अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे इक्विटी शेयर जो शेष रह गए हैं, उनके बारे में बोर्ड जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यकारी निदेशक (यों) या निदेशकों की समिति या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी (यों) जिन्हें बैंक उपयुक्त समझे को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.07.2020

हस्ता/-
(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, number of equity shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director (s) or Committee of Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

sd/-
(Rajesh Verma)
Chief General Manager

Place : New Delhi
Date : 09.07.2020

टिप्पणियाँ:

- सतत कोविड-19 महामारी को देखते हुए हुए, सामाजिक दूरी रखने के मानदंडों का पालन किया जाना है एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/ 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 तत्पश्चात परिपत्र संख्या 20/ 2020 दिनांक 05 मई 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या सेबी / प्रधान कार्यालय / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर/ पी / 2020/79 दिनांक 12 मई 2020, जो वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के आयोजन करने की अनुमति देता है, के अनुसरण में बैंक के 19 वें एजीएम का संचालन वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए किसी आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने वाले शेयरधारकों को पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। 19 वें वार्षिक आम बैठक के लिए विचारणीय स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
- कार्यसूची मद संख्या 2 और 3 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।**
- प्रॉक्सी की नियुक्ति:** बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक, स्वयं के अलावा किसी और को उपस्थित करने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त छूटों के अनुसार और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक के आयोजन के लिए पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस सूचना में संलग्न नहीं किया गया है।
- प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक वीसी/ओएवीएम एवं /या ई-मतदान के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्यप्रति वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक ईस्ट विंग, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में, अथवा संवीक्षक को ई-मेल Scrutinizer@snaco.net पर भेज दी जाए और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in और evoting@nsdl.co.in बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् वृहस्पतिवार, 30 जुलाई 2020 को समाप्ति समय सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए।
बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना :**
शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बही बुधवार, 29 जुलाई 2020 से मंगलवार, 04 अगस्त 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

NOTES:

- In view of the continuing COVID-19 pandemic, social distancing norms are to be followed and pursuant to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") permitting the convening of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, the 19th AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility which does not require physical presence of members at a common venue. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 19th AGM shall be the Head Office of the Bank.
- The Explanatory Statements to the agenda items 2 & 3 is annexed hereto.**
- Appointment of Proxy:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. In accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by the shareholders is not available for this AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.
- Appointment of an Authorised Representative:**
No person shall be entitled to attend the AGM through VC / OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited at the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or sent to the Scrutinizer by e-mail to Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the 30th July, 2020.
No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.
- Closure of Register of Shareholders:**
The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, 29th July, 2020 to Tuesday, 04th August, 2020 (both days inclusive).

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के किसी भी शेयरधारक को उसके शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के माध्यम से यथा संशोधित के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, वे अपने वोट का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग

I. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधान जो एमसीए परिपत्रों के साथ पठित है की अनुपालना में बैंक अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 28 जुलाई 2020 है।

II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वह वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

III. जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

IV. रिमोट ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत है :-

(i) रिमोट ई वोटिंग की अवधि शनिवार, 01 अगस्त 2020 से (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और सोमवार, 03 अगस्त 2020 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि 28 जुलाई 2020 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या डिमैटेरियालाइज्ड रूप में, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा।

(ii) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और विधि का विवरण नीचे दिया गया है:

6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

7. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Tuesday, 28th July, 2020.

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

(i) The remote e-voting period begins on Saturday, 01st August, 2020 (9:00 a.m.) and ends on Monday, 03rd August, 2020 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Tuesday, 28th July, 2020, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

(ii) The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

चरण 1: शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर लॉग ऑन करना होगा

चरण 2: शेयरधारक को तब एनएसडीएल में वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालना होगा

चरण 1 का विवरण नीचे वर्णित है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. एकबार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, 'लॉगइन' आइकॉन पर क्लिक करें जोकि 'शेयरहोल्डर्स' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं अर्थात (आइडियाज) के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। आप एनएसडीएल के मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा
बी) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की बेंचिफिशरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेंचिफिशरी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

- यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।
- यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

Step 1: The shareholders should log on to the e-voting website <https://www.evoting.nsdl.com>

Step 2: The shareholders should then cast the vote electronically on NSDL e-voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically. You can use the Mobile App of NSDL.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

- If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

सी) अपना 'इनिशियल पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

- (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है, तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूँढ़ें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'इनिशियल पासवर्ड' दिए गए हैं।
- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया 'उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं' के तहत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या भूल चुके हैं:

- ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।
- बी) "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- सी) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।
- डी) शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर 'Terms and Conditions' पर सहमत पर सही करें।

8. अब, आपको, लॉगिन 'बटन' पर क्लिक करना होगा।

9. 'Login' बटन पर क्लिक करने के बाद, e-Voting का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 2 का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें?

1. स्टेप 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को 'EVEN' देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।
3. बैंक का 'EVEN' चुनें।
4. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि आपका वोटिंग पेज खुल गया है।
5. समुचित विकल्प चुनकर आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात्, सहमति या असहमति उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं; 'सबमिट' पर क्लिक करें और अपने वोट को 'कर्म' करें।

c) How to retrieve your 'initial password'?

- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow the steps under the 'Process for those shareholders whose email ids are not registered' detailed hereinafter.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option is available on www.evoting.nsdl.com
- b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
- d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to 'Terms and Conditions' by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on 'Login' button.

9. After you click on the 'Login' button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is mentioned below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After clicking on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select 'EVEN' of the Bank.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

6. पुष्टि करने के बाद, “सफलतापूर्वक वोट डाला गया” संदेश प्रदर्शित होगा।
7. आप पुष्टि पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात्, व्यक्तियों एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को बोर्ड के प्रस्ताव जिसमें उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, जो मत देने हेतु प्राधिकृत, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षरों के साथ स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति संवीक्षक के ईमेल evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in पर (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) भेजनी होगी, और इसकी प्रति Scrutinizer snaco.net पर भेजे।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए “Forgot User Details/Password?” पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” or “Physical User Reset Password?” विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।
 - i) श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in या AmitV@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर: +91-22-24994360 या
 - ii) सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in, pallavid@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर +91 22 2499 4545 पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- ट. ऐसे शेयरधारक जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए इस नोटिस में नियत किए गए संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :
- ए. वे शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने बैंक के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जो एजीएम में भाग लेना चाहते हैं या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालना चाहते हैं, वे फोलियो नंबर, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे) के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन कॉपी बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को beetal@financial.com पर भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- बी. डीमैट मोड में शेयर होने की स्थिति में, शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ स्कैन किए गये पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित

6. Upon confirmation, the message ‘Vote cast successfully’ will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send a scanned certified true copy of the Board resolution appointing him/her as a duly authorized representative (PDF/JPG Format) with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, by email to the Scrutinizer at Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to:
 - i) Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or at telephone number: +91-22-24994360 OR
 - ii) Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in, pallavid@nsdl.co.in or at telephone number +91 22 2499 4545.
- V. Process for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting on the resolutions set out in this notice for those shareholders whose email ids are not registered:
 - a. Those shareholders, who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Bank and who wish to participate in the AGM or cast their vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the meeting, may obtain the login ID and password by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back) along with self attested scanned copy of PAN Card and AADHAR Card to the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank at beetal@beetalfinancial.com
 - b. In case shares are held in DEMAT mode, shareholders may obtain the login ID and password by providing DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account

प्रतिलिपि बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com पर भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

8. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम)

बैंक एनएसडीएल की वेबसाइट पर 19 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा प्रदान करेगा। आप अपने दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके <https://www.evoting.nsdl.com> पर एक्सेस कर सकते हैं। लिंक शेयरधारक लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए, वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैंक के एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए सुबह 9:30 बजे से यानी एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रखा जाएगा। बैंक/ एनएसडीएल निर्धारित समय के 30 मिनट बाद वीसी / ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक नोट करें कि एनएसडीएल द्वारा डी गई वीसी/ओएवीएम सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भाग लेने की अनुमति देती है। बैंक में शेयरपूँजी के 2% या अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों, आदि एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के भाग ले सकते हैं।

I. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

ए. शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके और बैंक एजीएम के लिए ईवीईएन का चयन करके <https://www.evoting.nsdl.com> पर शेयरधारकों के तहत एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश हेतु ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

बी. शेयरधारक बेहतर अनुभव हेतु लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को मीटिंग के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट और कैमरे की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों या लैपटॉप आदि के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

statement along with self attested scanned copy PAN Card, AADHAR card, to the Registrar and Share transfer Agent of the Bank at beetal@beetalfinancial.com.

8. Video Conferencing (VC) /Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Bank will be providing a facility to view the live streaming of the proceedings of the 19th Annual General Meeting (AGM) on the NSDL website. You may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> by using your remote e-voting credentials. The link will be available in the shareholder login where the EVEN of the Bank will be displayed.

Shareholders may join the AGM of the Bank through VC/ OAVM facility, by following the procedure as mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders from 9:30 a.m. i.e. 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time.

Shareholders may note that the VC/OAVM Facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come-first-served basis.

I. The instructions for attending the meeting through VC / OAVM are as under:

a. Shareholders will be able to attend the AGM through VC/OAVM Facility through the NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholders login by using the remote e-Voting credentials and selecting the EVEN for the Bank's AGM. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush. Further, Shareholders can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.

b. Shareholders may join the Meeting through Laptops for better experience. Further, the shareholders will be required to use Camera and Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that shareholders connecting from mobile or tablets or through laptops etc. connecting via mobile hotspot, may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

c. Shareholders can submit questions in advance with regard

सी. शेरधारक अपने पंजीकृत ईमेल पते से एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले यानी 02 अगस्त, 2020 तक सुबह 10:00 बजे तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैंक के ईमेल पते i.e. hosd@pnb.co.in पर अपने प्रश्न अग्रिम रूप से भेज सकते हैं। जो शेरधारक एजीएम में दिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करने हेतु अपना नाम, डीपीआई, ग्राहक आईडी संख्या/फोलियो संख्या और मोबाइल नं. देते हुए अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना अनुरोध एजीएम के शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व अर्थात 02 अगस्त, 2020 को सुबह 10 बजे या इससे पहले ईमेल पते i.e. hosd@pnb.co.in पर पहुँच जाना चाहिए। जिन शेरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। शेरधारक जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेंगे, प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न / प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। सदस्यों द्वारा इस तरह के प्रश्न बैठक दौरान उठाये जाएंगे या बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से सात दिनों के अन्दर जवाब दिये जाएंगे।

डी. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों।

II. एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार है:

ए. शेरधारक एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जैसा कि दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिया गया है।

बी. शेरधारक जिन्होंने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट डाला है, वे एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वे अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

सी. एजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।

9. संवीक्षक

सुश्री मालती कुमार (एम सं. 15508 एवं सीओपी सं. 10980), मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एवं कंपनी. सचिवालय, (ईमेल आईडी – Scrutinizer@snaco.net) की साझेदार को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के 48 घंटे के बाद बैठक के अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लिखित रूप में उक्त पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to reach the Bank's email id hosd@pnb.co.in atleast 48 hours in advance before the start of the meeting i.e. by 02nd August, 2020 by 10:00 a.m. Shareholders, who would like to express their views / ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a speaker by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to reach the Bank's email id i.e. hosd@pnb.co.in at least 48 hours in advance before the start of the AGM i.e. on or before 10.00 a.m. on 02nd August, 2020. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the shareholder shall be taken up during the meeting or replied within 7 days from AGM date by the Bank suitably.

d. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.

II. The instructions for e-voting during the AGM are as under:

a. Shareholders may follow the same procedure for e-Voting during the AGM as detailed above for remote e-Voting.

b. The Shareholders who have cast their vote on the Resolutions by remote e-Voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/ OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again.

c. The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

9. Scrutinizer

Ms. Malati Kumar (M. No. 15508 and COP No. 10980), Partner of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, (email ID – Scrutinizer@snaco.net) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो,

शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को अधिनियम की धारा 10 बी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2011-12 तक लाभांश खाते में अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश (एस) प्राप्त/दावा नहीं किया है, वे उक्त राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/ टेलीफोन नंबर फोलियो नंबर/ डीपी-आईडी और ग्राहक आईडी तथा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड इत्यादि, देते हुए अनुरोध करें, क्योंकि यह राशि आईईपीएफ को अंतरित करने हेतु देय है। यदि दावा नहीं किया गया है, तो लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट/प्राप्त लाभांश को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके दावे के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें। 2012-13 के बाद से अदत्त/ अदावाकृत लाभांश की वर्षवार सूची बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर अपलोड की गई है।

11. अन्य सूचना

- ए) सेबी के पूर्व कथित परिपत्र के अनुपालन में, 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सम्मिलित करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग आदि की प्रक्रिया और विधि का संकेत देते हुए, वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिनकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात् “बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड”/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (एस) के साथ पंजीकृत हैं।
- बी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि 2019-20 की एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- सी) बैंक द्वारा किए गए ‘हरित पहल’ (ग्रीन इनिशिएटिव्स) को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, अपने बैंक के एसटीए के साथ (STA की ईमेल आईडी: beetal@beetalfinancial.com) अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा, परिवर्तनों के मामले में, यदि कोई हो, तो उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकनों, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, से संबंधित परिवर्तन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने डीपी को सूचित किया जा सकता है तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने एसटीए को सूचित किया जा सकता है।

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by Central Government pursuant to Section 10B of the Act. The unpaid/unclaimed amount in Dividend Account upto FY 2011-12 has been transferred to IEPF.

The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for year 2012-13 are requested to claim the same by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No. / DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, Branch address, Bank account number and IFSC Code etc. for claiming the amount as the same is due for transfer to IEPF. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the applicable guidelines.

Further, the shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for claiming the same. The year-wise list of unpaid/unclaimed dividend from 2012-13 onwards is uploaded on the Bank's website (www.pnbindia.in).

11. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the aforesaid SEBI Circular, the Annual Report for 2019-20 containing the Notice of the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (STA) i.e. “Beetal Financial & Computer Services (P) Limited” / Depository Participant(s).
- b) Shareholders may also note that the Notice of the AGM and the Annual Report for 2019-20 is also being available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
- c) In view of the ‘Green Initiatives’ undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's STA in case of shares held in physical form (email id of STA: beetal@beetalfinancial.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the STA in case the shares are held by them in physical form.

- डी) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियों में विविध फोलियों में शेयर भौतिक रूप में रखे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को एकल फोलियो में समेकन के लिए एसटीए को भेजें।
- ई) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन हेतु प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन की सुगमता हेतु, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को अमूर्त रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं।

व्याख्यात्मक कथन:

कार्यसूची मद सं. 2

- ए) 31.03.2020 को, रु. 69469,80,67,937.79 की राशि शेयर प्रीमियम खाते में क्रेडिट खड़ी जो पूर्व के शेयर पर्याप्त प्रीमियम पर होने के परिणामतः है। इसके अतिरिक्त 31.03.2020 को रु. 28707,91,81,617.09 की कुल राशि बकाया है, जिसमें आरक्षित निधियों और अधिशेष के तहत पीएनबी, ई-ओबीसी और ई-यूएनआई की संचित हानि शामिल है।
- बी) बैंक शेयर प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग संचित हानि के संमजन के लिए करने का प्रस्ताव करता है।
- सी) तदनुसार बैंक 31.03.2020 को 'शेयर प्रीमियम खातों' में शेष जमा राशि ₹69469,80,67,937.79 (रुपए उनहत्तर हजार चार सौ उनहत्तर करोड़ अस्सी लाख सड़सठ हजार नौ सौ सैंतीस और उन्नासी पैसे मात्र) की राशि में से ₹ 28707,91,81,617.09 (रुपए अट्ठाईस हजार सात सौ सात करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार छह सौ सत्रह और नौ पैसे मात्र) की राशि का उपयोग बैंक के लाभ और हानि खाते के क्रेडिट में अंतरण द्वारा शेष (संचित हानि) ₹28707,91,81,617.09 (रुपए अट्ठाईस हजार सात सौ सात करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार छह सौ सत्रह और नौ पैसे मात्र) के डेबिट शेष के समायोजन के लिए करने का प्रस्ताव करता है और शेयर प्रीमियम खाता वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तदनुसार कम हो जाएगा।
- डी) प्रस्तावित शेयर प्रीमियम कटौती यदि अनुमोदित एवं फाइनल की जाती है, तो इसका प्रभाव यह होगा कि संचित हानि, जो 31.03.2020 को ₹ 28707,91,81,617.09 पर थी, तदनुसार सेट ऑफ हो जायेगी।
- ई) बैंक का विचार है कि वर्तमान परिदृश्य में यह बैंक के लिए सबसे व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कुशल विकल्प है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- एफ) बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा जो शेयरधारकों को लाभान्वित करेंगे क्योंकि उनकी शेयर पूंजी बेहतर मूल्य प्राप्त करेगी और बैंक को लागू प्रावधानों के अनुसार उचित

- d) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.
- e) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to mitigate the risk associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's STA for assistance in this regard.

Explanatory Statement:

Agenda Item No. 2

- a) As at 31.03.2020, an amount of ₹69469,80,67,937.79 is standing to the credit of Share Premium Account, as a result of earlier share issues being at substantial premium. Further an aggregate amount of Rs. 28707,91,81,617.09 as on 31.03.2020 comprising accumulated losses of PNB, e-OBC and e-UNI is outstanding under Reserves & Surplus.
- b) The Bank proposes to utilize the amount standing in the Share Premium Account for the purpose of setting off the accumulated losses.
- c) Accordingly, the Bank proposes to utilize an amount of ₹28707,91,81,617.09 (Rupees Twenty eight thousand seven hundred seven crore ninety one lakhs eighty one thousand six hundred seventeen and nine paise only only) out of an amount of ₹69469,80,67,937.79 (Rupees Sixty nine thousand four hundred sixty nine crore eighty lakhs sixty seven thousand nine hundred thirty seven and seventy nine paise only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as at 31.03.2020 by transfer to the credit of the Profit & Loss Account of the Bank for adjustment of the debit balance (accumulated losses) of ₹28707,91,81,617.09 (Rupees Twenty eight thousand seven hundred seven crore ninety one lakhs eighty one thousand six hundred seventeen and nine paise only only) as at 31.03.2020 and the Share Premium account will accordingly stand reduced during the current Financial Year 2020-21.
- d) The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalized, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2020 stood at ₹ 28707,91,81,617.09, will accordingly be set off.
- e) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.
- f) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders

समय सीमा के भीतर लाभांश भुगतान के रूप में बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसर तलाशने में सक्षम बनाएगी। यह प्रस्ताव समयबद्ध तरीके से अपनी टर्न अराउंड योजना को प्राप्त करने के लिए बैंक को बेहतर स्थिति में भी रखेगा।

जी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 किसी भी प्रदत्त पूंजी को रद्द करके अपनी प्रदत्त पूंजी को कम करने का प्रावधान करता है, जो गुप्त है, या उपलब्ध आस्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 (राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2020) द्वारा यथा संशोधित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के सन्दर्भ में उल्लिखित, प्रदत्त पूंजी की कमी के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करके एक राष्ट्रीयकृत बैंक को अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमति देता है।

एच) चूँकि संचित हानियों का समझन करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजीगत कमी माना जाएगा, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जा रही है।

आई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) में यह प्रावधान है कि जहां बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि या राशियों को विनियोजित करता है, यह ऐसे विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, इस तरह के विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए, इस तथ्य को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित करें। बैंक निर्धारित समय अवधि के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा।

जे) शेयर प्रीमियम खाते की कटौती जिसमें लाभ एवं हानि शेयर प्रीमियम खाते की क्रेडिट राशि को कम करने के लिए खाते में नामे शेष को समझन करना शामिल है, बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी प्रकार के प्रतिफल के मोचन का निर्वहन नहीं करता है। तदनुसार, बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद अपरिवर्तित रहेगी। शेयरों का बही मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा।

शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते की कटौती से पहले		शेयर प्रीमियम खाते की कटौती के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	हिस्सेदारी का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	हिस्सेदारी का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक धारिता: भारत सरकार	8054125685	85.59	8054125685	85.59
बी.	गैर प्रवर्तक धारिता: सार्वजनिक	1356503630	14.41	1356503630	14.41
	कुल	9410629315	100.00	9410629315	100.00

of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plan in a time-bound manner.

g) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets. Further, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended by (Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

h) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

i) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

j) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding pattern:

Sl. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding: Government of India	8054125685	85.59	8054125685	85.59
B	Non Promoter Holding: Public	1356503630	14.41	1356503630	14.41
	Total	9410629315	100.00	9410629315	100.00

क) शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं हैं।

निदेशक मंडल ने बैंक और इसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसलिए शेयरधारकों द्वारा इसके अनुमोदन की सिफारिश करते हैं।

बैंक के निदेशकों में से किसी का भी संकल्प से संबंध या हित नहीं है।

कार्यसूची मद सं. 3

ए) 31 मार्च, 2020 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.14% है। वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी रु. 3000 करोड़ है। 31 मार्च 2020 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 1347.51 करोड़ थी, जो 04.03.2020 को सरकारी राजपत्र में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित समामेलन की योजना के अनुसार ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन के फलस्वरूप ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूएनआई) के शेयरधारकों को जारी इक्विटी शेयरों के कारण पहली अप्रैल, 2020 को बढ़कर रु. 1882.13 करोड़ हो गई।

बी) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानों के आधार पर और निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार, बैंक का प्रस्ताव है कि आरबीआई के बासेल प्पूजीगत विनियमों के संदर्भ में पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 7000.00 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी कैपिटल जुटाई जाए। इसके अलावा, इक्विटी शेयरों के निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने से बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 ए में निर्धारित 25% की न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक हिस्सेदारी से कम है।

सी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2बी)(सी) के संदर्भ में, बैंक की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि के लिए बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

डी) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 41 (4) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध संस्था, प्रथम दृष्टि में सभी शेयरों (जब्त शेयरों सहित), प्रतिभूतियों, अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों का निर्गम और प्रस्ताव सूचीबद्ध इकाई के इक्विटी शेयरधारकों की पेशकश यथानुपातिक के आधार पर सदस्यता लेती है, जब तक कि आम बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न लें। यदि उक्त संकल्प पारित किया जाता है, तो बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार के बजाय शेयरों को जारी करने और आवंटित करने की अनुमति देने का प्रभाव होगा।

ई) यह संकल्प बैंक को आगे पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/राइट्स इश्यू और/या इसके संयोजन (ओं) को उसके कोई अन्य अनुमत मोड (मोड) के जरिए इक्विटी शेयर के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन के लिए बैंक को सक्षम करने का प्रस्ताव करता है।

एफ) यह प्रस्ताव आगे आईसीडीआर विनियमों द्वारा परिभाषित योग्य संस्थागत

k) The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.

The Board of Directors have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommend the same for approval by the shareholders.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

Agenda Item No. 3

a) The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2020 is 14.14%. Presently the Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 Crore. The Paid-Up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2020 was ₹ 1347.51 Crore which increased to ₹ 1882.13 Crore as on 1st April, 2020 on account of equity shares issued to shareholders of Oriental Bank of Commerce (OBC) and United Bank of India (UNI) consequent to the Amalgamation of OBC and UNI into Punjab National Bank pursuant to the Scheme of Amalgamation notified by the Government of India in the Official Gazette on 04.03.2020.

b) Based on the projections for FY 2020-21 and pursuant to the approval of the Board of Directors, the Bank intends to raise Equity Capital for an amount upto ₹ 7000.00 Crore in order to meet the capital requirement in terms of RBI's Basel III Capital Regulations and also to fund the general business needs of the Bank. Besides, raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

c) In terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank will obtain the requisite approval of the Ministry of Finance Government of India and the Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.

d) Regulation 41(4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe on pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board to issue and allot the shares otherwise than on pro rata basis to the existing shareholders.

e) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares by way of Further Public offer (FPO) / Qualified Institutional Placement (QIP) / Rights issue and/or any other permitted mode(s) or a combination(s) thereof.

f) The Resolution further seeks to empower the Board of

खरीदारों के साथ क्वालीफाईड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रस्ताव करता है। निदेशक मंडल अपने विवेक से आईसीडीआर विनियमों के अध्याय ट के तहत निर्धारित श्रेयधारकों के नए अनुमोदन के बिना, बैंक के लिए धन जुटाने हेतु इस पद्धति को अपना सकता है। सेबी आईसीडीआर विनियम, के संदर्भ में संकल्प की वैधता क्यूआईपी के लिए 365 दिनों तक सीमित है। बैंक लागू कानूनों के अनुसार 5% से अनधिक क्यूआईपी फ्लोर मूल्य पर लागू कानूनों के तहत यथानुमत्य प्रतिशत के छूट की पेशकश कर सकता है।

जी) प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, लीड प्रबंधकों और अंडरराइटर्स और ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी, जो मौजूदा बाजार की दशाओं और अन्य नियामक आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

एच) चूंकि बाद के चरण को छोड़कर प्रस्ताव की कीमत तय नहीं की जा सकती है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है। तथापि, यह आईसीडीआर विनियमों, अधिनियमों और पीएनबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा, जो समय-समय पर संशोधित या किसी अन्य दिशा-निर्देशों/विनियमों/सहमति के अनुसार लागू या अपेक्षित हो सकते हैं।

आई) आवंटित किए गए इक्विटी शेयर, सभी प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान रूप से रैंक किये जाएंगे।

जे) पूर्वोक्त कारणों से, इस निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को उचित लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए एक सक्षम प्रस्ताव पारित किया जाना प्रस्तावित है।

आपके निदेशक इस कार्यसूची के लिए सूचना में यथा उल्लिखित विशेष प्रस्ताव पारित करने की संस्तुति करते हैं।

उक्त बैंक के संकल्प में किसी भी निदेशक का कोई भी संबंध या हित संबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2020

हस्ता/-
(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

Directors to undertake Qualified Institutions Placement (QIP) with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in its discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 365 days for QIP. The Bank may in accordance with applicable laws, also offer a discount of not more than 5% or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price.

g) The detailed terms and conditions for the Offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

h) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the PNB Regulations as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

i) The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

j) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the Notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the said Resolution.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB NATIONAL BANK

sd/-
(Rajesh Verma)
Chief General Manager

Place: NEW DELHI
Date: 09.07.2020